मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2015/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

प्रति,

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   मंत्रालय, भोपाल

2. प्रमुख सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
   मंत्रालय, भोपाल

विषय - पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों मे नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों के महँगाई भत्ते में **6%** की वृद्धि।

—▪—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2014/नियम/चार, दिनांक 22 मई, 2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों मे नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर 113% की दर से मंहगाई भत्ता देय था ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों मे नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को वेतन बैण्ड में वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से महँगाई भत्ता दिया जावे :-

अवधि जब से देय	महँगाई भत्ते का प्रतिशत
दिनांक 01-07-2015 से (माह जुलाई, 2015 का वेतन माह अगस्त, 2015 में देय होगा)	**119%**

2/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA//Rule2015/Paripatra/

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2015/नियम/चार
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
2. आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
8. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
9. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

20/10/15

(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA//Rule2015/Paripatra/